अनुसूची 14, - प्रपत्र सं0 563 ।

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

विविध वाद संख्या–07 / डी0एम0 / 2015

जय कुमार सिंह वनाम सरकार

आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–34 / 2015 जय कुमार सिंह वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.02.15 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"The prayer made by these petitioners in this writ petition is for a direction to the respondent no-2 the District Magistrate, Jehanabad as well as the respondent no-3 District Land Acquisition Officer, Jehanabad to immediately stop the construction of a building on the raiyati land of the petitioners bearing Khata no-307, Plot no-309, admeasuring 3-5 acres situated at Village-Jamuawan, P.S.-Parasbigha in the district of Jehanabad.

Having heard learned consel for the parties and taking note of the nature of the grievance, this writ petition is disposed of with a direction to the Collector, Jehanabad to consider the grievance of the petitioners as reflected in the representation received in his office on-22-07-2014, a copy of which is placed at Annexure-3 to the writ petition and dispose of the same after giving opportunity of hearing to the petitioners within three months from the date of receipt/production of a copy of this order.

It is made clear that any construction on the raiyati land of the petitioners without their consent and without taking recourse to the provisions of the Land Acquisition Act would be at the risk of the state authorities and if ultimately found illegal would have to be removed from the said plot.

पारित आदेश के आलोक में वादी श्री विजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 कमलेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम–पण्डुई, थाना–परसविगहा, जिला–जहानाबाद के द्वारा अभ्यावेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के दाखिल अभ्यावेदन पर वादी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

वादी का कहना है कि खाता सं0–307, प्लौट सं0–309, रकवा–3.50 एकड़ भुतपूर्व जमींदार के द्वारा सादा हुकुमनामा से बन्दोवस्त किया गया था। उक्त बंदोवस्ती के आधार पर जमाबंदी सं0–39 एवं 40 कायम किया गया एवं लगान रसीद निर्गत किया गया। विविध वाद सं0–21 / 1997–98 में दिनांक–25.03.1998 को अंचल अधिकारी, जहानाबाद के द्वारा जमीन वादी का बताया गया है। इनका कहना है कि उक्त बंदोवस्त जमीन का कम्पनसेशन वाद सं0–4318 / 54–55 है। इनका कहना है कि नक्सल गतिविधि के कारण दोनों भाई अपने बच्चों के साथ बाहर रहते हैं। भूमि एवं सम्पति के देखभाल करने हेतु मैनेजर / वराहिल रखा गया है। खेती की सुविधा नहीं रहने के कारण कुछ जमीन पर खेती का कार्य नहीं किया जाता है। वादी को जानकारी मिली कि खाता सं0–307, प्लौट सं0–390, रकवा–3.50 एकड़, मौजा–जमुआवाँ पर सरकार के द्वारा आई0टी0आई का निर्माण किया जा रहा है। इनका कहना है कि वादी की सहमति लिए बिना तथा बिना अधिग्रहण की कार्रवाई किये। वादी के जमीन पर आई0टी0आई0 भवन